



## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1561 I ) / 20.11.16

### (I) आदेश फलक

आवेदन की तिथि 10/11/16  
अधिपुचना कि तिथि 11/11/16  
निर्गत तिथि 12/11/16

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
6/11/16	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... लीला देवी पिता/पति... श्री... साकिम... श्री... धाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... मौजा नं०... खाता नं०... प्लॉट नं०... रकबा... दलील सं०... दिनांक... के द्वारा श्री/श्रीमती... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अधिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबंदी सं०... में विक्रेता के/विक्रेता के... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कुलकृष्ण निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की-संस्थि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

मेरे द्वारा फोटो कोपी  
किया गया  
प्रतिलिपिक / टंकक

मैंने मिलान किया  
कहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि  
प्रधान सहायक  
अंचल कार्यालय  
धनबाद



## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1956 ( I ) / 20.11.16

आवेदन की तिथि 10/11/16  
अधिसूचना की तिथि 11/11/16  
निर्गत तिथि 12/11/16

### (I) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
6/10/16	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... पिता/पति... साकिम... धाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मोजा... मोजा नं०... खाता नं०... प्लॉट नं०... दलील सं०... दिनांक... के द्वारा श्री/श्रीमती... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
20/10/16	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबंदी सं०... में विक्रेता के/विक्रेता के निम्न... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्रनगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कूलकसा निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की सशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करत लिस मसा है।</li> <li>प्रश्रनगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लोखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

मेरे द्वारा फोटो कोपी  
किया गया

प्रतिलिपिक / टंकक

मैंने मिलान किया

सहायक

अंचल अधिकारी  
धनबाद।

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

प्रधान सहायक  
अंचल कार्यालय  
धनबाद



सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

आवेदन की तिथि 17/11/16  
अधिसूचना की तिथि 11/11/16  
निर्गत तिथि 12/11/16

जिला- धनबाद, अनुमण्डल- धनबाद अंचल- धनबाद, इल्का सं०- 44A स्टेट का नाम- झारखण्ड

क्रम संख्या	पत्नी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकर और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बदलाव हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मधारी द्वारा इल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1									
2	(III) 45-46 I/20167		धनबाद	खाता- 40 ख 50 प्लॉट- 758, 760, 759 रकबा- 4.62 बी. मा 2.88 बी लमान- 3.00 बी	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री/ उत्तराधिकारी दलील संख्या 5604 दिनांक 05/10/16	पुराना जमा0- 357 खे 50 पुराना रैयत- निम्नलिखित कुंघार, ओला कुंघार नया रैयत- श्रीमती बीला देवी श्री- श्री प्रिन्डे कुमार मछरी व्या- श्री नगर पुठकी, धनबाद	जमा सं० _____ में दर्ज किया	

ज्ञापक संख्या..... ति०..... 2015-2016  
कर्मधारी इल्का सं० (III) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी  
धनबाद

मेरे द्वारा फोटो कॉपी  
केसा गया  
प्रतिनिधिक/ टंकक

मैंने मिलान किया  
सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि  
प्रधान सहायक  
अंचल कार्यालय  
धनबाद